अनुदान मांग 2025-26 का विश्लेषण

कृषि एवं किसान कल्याण

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय दो विभागों में बंटा हुआ है: (i) कृषि और किसान कल्याण विभाग, जोकि किसान कल्याण से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करता है और कृषि इनपुट्स का प्रबंधन करता है, तथा (ii) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, जोकि कृषि अनुसंधान का समन्वय और संवर्धन करता है।

इस नोट में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रस्तावित बजट आवंटनों और कृषि क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है।

वित्तीय स्थिति

2025-26 में आवंटन

2025-26 में मंत्रालय को 1,37,757 करोड़ रुपए (केंद्रीय बजट का 2.7%) आवंटित किए गए हैं।[1,2] मंत्रालय का आवंटन 2024-25 के संशोधित अनुमान से 2.5% कम होने का अनुमान है। 2024-25 के संशोधित अनुमान के अनुसार, मंत्रालय का व्यय बजट अनुमान से 6.8% बढ़ गया है।

तालिका 1: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए आवंटन (करोड़ रुपए में)

	2023-24 वास्तविक	2024-25 संअ	2025-26 बअ	संअ 2024-25 से बअ 2025-26 में % परिवर्तन
कृषि एवं किसान कल्याण	1,08,356	1,31,195	1,27,290	-3.0%
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	9,791	10,156	10,466	3.1%
कुल	**1,18,147**	**1,41,352**	**1,37,757**	-2.5%

नोट: BE- बजट अनुमान; RE- संशोधित अनुमान। स्रोत: व्यय बजट, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय बजट 2025-26; पीआरएस।

व्यय की प्रमुख मदें

मंत्रालय को कुल आवंटन में से 92% कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा खर्च किए जाने का अनुमान है जबकि शेष कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग द्वारा खर्च किए जाने का अनुमान है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अपने बजट का 77% तीन प्रमुख योजनाओं पर खर्च करता है: (i) पीएम-किसान सम्मान निधि (प्रति किसान परिवार प्रति वर्ष 6,000 रुपए का प्रत्यक्ष नकद अंतरण), (ii) संशोधित ब्याज सहायता योजना, और (iii) फसल बीमा योजना (तालिका 2 देखें)।

तालिका 2: मंत्रालय के तहत प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन (करोड़ रुपए में)

योजना	2023-24 वास्तविक	2024-25 संअ	2025-26 बअ	संअ 2024-25 से बअ 2025-26 में % परिवर्तन
पीएम-किसान	61,441	63,500	63,500	0%
एमआईएसएस	14,252	22,600	22,600	0%
फसल बीमा योजना	12,949	15,864	12,242	-23%
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	5,693	6,000	8,500	42%
कृष्णोन्नति योजना	5,736	7,106	8,000	13%
पीएम- आशा	2,200	6,438	6,941	8%
अन्य	6,039	9,687	5,507	-43%
कुल	**1,08,356**	**1,31,195**	**1,27,290**	

नोट: एमआईएसएस संशोधित ब्याज सहायता योजना, आरकेवीवाई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है और पीएम आशा पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है। स्रोत: व्यय बजट, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय बजट 2025-26; पीआरएस।

सृष्टि सिंह
shrusti@prsindia.org

4 फरवरी, 2025

बजट भाषण 2025-26 में मुख्य घोषणाएं[3]

- **पीएम धन धान्य कृषि योजना:** यह योजना राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू की जाएगी और इसमें 1.7 करोड़ किसानों को शामिल होने का अनुमान है। योजना कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण पहुंच वाले 100 जिलों को लक्षित करेगी।
- **अधिक उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन**: मिशन में निम्न पर ध्यान दिया जाएगा: (i) 100 से अधिक बीज किस्मों की व्यावसायिक उपलब्धता सुनिश्चित करना, (ii) जलवायु और कीट प्रतिरोधी उच्च उपज वाले बीजों का विकास और प्रसार, और (iii) उच्च उपज वाली बीज किस्मों पर अनुसंधान को बढ़ाना। मिशन के तहत 2025-26 के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
- **किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बढ़ी हुई क्रेडिट सीमा:** संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत ऋण सीमा तीन लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए की जाएगी।
- **बागवानी पर ध्यान केंद्रित करना:** फलों और सब्जियों के उत्पादन, कुशल आपूर्ति, प्रसंस्करण और लाभकारी कीमतों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम को 2025-26 के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह राज्यों में किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों के गठन और भागीदारी को लक्षित करेगा।
- **दलहन में आत्मनिर्भरता:** दलहन में आत्मनिर्भरता हेतु छह वर्ष की अवधि के लिए एक नया मिशन शुरू किया जाएगा। मिशन का लक्ष्य तुअर, उड़द और मसूर की खरीद के माध्यम से दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना होगा। योजना के तहत 2025-26 के लिए 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
- असम में 12.7 लाख टन की वार्षिक क्षमता वाला एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

धनराशि उपयोग

2015-16 से मंत्रालय ने औसतन अपने आवंटित बजट का 90% उपयोग किया है (रेखाचित्र 1 देखें)। पीएम-किसान योजना की शुरुआत के कारण 2019-20 से मंत्रालय का आवंटन पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है। पीएम फसल बीमा योजना और पीएम-किसान के तहत अतिरिक्त खर्च के कारण 2024-25 में उपयोग बजट से अधिक है।

रेखाचित्र 1: धनराशि का आवंटन और उपयोग (करोड़ रुपए में)

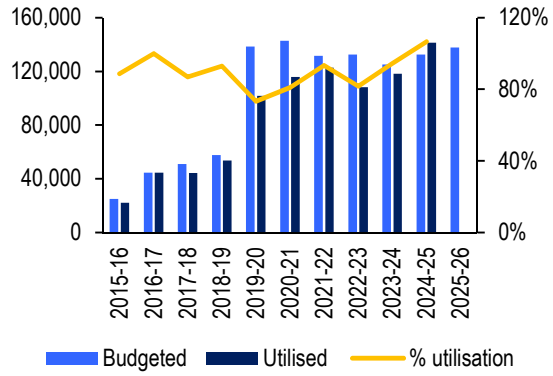

नोट: संशोधित अनुमानों का उपयोग 2024-25 के वास्तविक के रूप में किया गया है। स्रोत: विभिन्न वर्षों के बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

विचारणीय मुद्दे

कृषि में अस्थिर विकास

2023-24 में कृषि क्षेत्र ने अखिल भारतीय स्तर पर 46% श्रम शक्ति को रोजगार दिया, जबकि कुल मूल्य वर्धित में 16% का योगदान दिया।[4,5] चूंकि यह क्षेत्र वार्षिक मानसूनी बारिश सहित जलवायु स्थितियों पर निर्भर है, इसलिए 2011-12 से इस क्षेत्र में विकास अस्थिर रहा है। 2024-25 में कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि होने का अनुमान है जो 2023-24 की विकास दर (1.4%) से अधिक है।[6]

रेखाचित्र 2: कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि बनाम समग्र आर्थिक वृद्धि (% में)

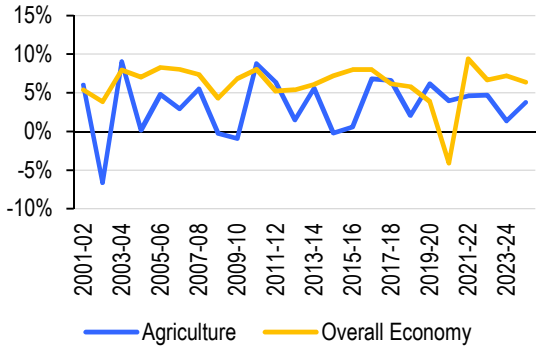

नोट: पहला अग्रिम अनुमान 2024-25 के लिए उपयोग किया गया है; कृषि में कृषि, वानिकी और मछली पकड़ना शामिल है। स्रोत: सांख्यिकीय अनुलग्नक, आर्थिक सर्वेक्षण, एमओएसपीआई; पीआरएस।

हालांकि कृषि समग्र अर्थव्यवस्था की तुलना में लगातार धीमी गति से बढ़ी है। 2001-02 के बाद से कृषि उत्पादन 3% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है, जबकि शेष अर्थव्यवस्था 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी है।[7,8] इसके परिणामस्वरूप इस अवधि में कृषि उत्पादन दोगुना हो गया जबकि अर्थव्यवस्था का शेष हिस्सा 4.6 गुना बढ़ गया।

कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 4 उप-क्षेत्र शामिल हैं: (i) फसलें, (ii) पशुधन, (iii) वानिकी और कटाई, और (iv) मछली पकड़ना और एक्वाकल्चर। 2011-12 और 2022-23 के बीच संबद्ध उप-क्षेत्रों में 6.5% की वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुई।[9] इसकी तुलना में इसी अवधि में फसल उप-क्षेत्र केवल 2.1% की औसत दर से बढ़ा है।

आर्थिक सर्वेक्षण (2023-24) में यह भी कहा गया कि कई मुद्दे कृषि क्षेत्र के विकास को प्रभावित करते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) खंडित भूमि जोत, (ii) कृषि की कम उत्पादकता, (iii) गुणवत्तापूर्ण इनपुट तक अपर्याप्त पहुंच, (iv) मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक अपर्याप्त पहुंच, (v) वर्षा आधारित कृषि पर निर्भरता और सिंचाई का खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, (vi) कृषि मशीनीकरण की कमी, और (vii) कृषि निवेश तंत्र तक खराब पहुंच।[10]

कृषि उत्पादकता कम रही है

वर्ष 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण ने कम उत्पादकता को भारतीय कृषि के लिए एक प्रमुख चुनौती के रूप में पहचाना, जो मामूली पैदावार (खेती योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में फसल उत्पादन) से स्पष्ट है।[11] खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, अनाज, चावल और दालों की खेती के रकबे के मामले में भारत शीर्ष देशों में से एक है (उपज की राज्यवार तुलना के लिए अनुलग्नक में तालिका 15 देखें)।[12] हालांकि भारत में प्रमुख फसलों की औसत पैदावार अभी भी कम है (तालिका 3 देखें)।

तालिका 3: 2022-23 में प्रमुख फसलों की अंतरराष्ट्रीय उत्पादकता के बीच तुलना (किलो/हेक्टेयर में)

फसल	भारत	विश्व में सर्वाधिक	विश्व औसत
धान	4,229	7,080	4,705
गेहूं	3,537	8,590	-
मक्का	3,387	10,880	5,718
गन्ना	78,600	94,400	70,600

स्रोत: कृषि लागत और मूल्य आयोग; पीआरएस।

पैदावार में अंतर के कुछ प्राथमिक कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) ग्रोइंग सीजन का तुलनात्मक रूप से कम होना, (ii) विविध कृषि-जलवायु परिस्थितियां, (iii) मौसम की चरम स्थितियां और (iv) आधुनिक प्रौद्योगिकियों का सीमित उपयोग।[13]

पैदावार में सुधार के लिए किसानों की आय दोगुनी करने वाली कमिटी (2016, चेयर: डॉ. अशोक दलवई) ने कुछ उपायों का सुझाव दिया है। कमिटी के सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) संसाधनों की उपयोग दक्षता में सुधार, (ii) खाद्य और पोषण सुरक्षा प्राप्त करते हुए उच्च कृषि आय का लक्ष्य, (iii) मुख्य फसलों के तहत फसल क्षेत्र को कम करना और उच्च मूल्य वाली वस्तुओं में विविधता लाना, और (iv) क्रॉप ज्योमेट्री (एक क्षेत्र में पौधों की व्यवस्था) को बदलना।[14]

कमिटी (2016) ने कहा था कि देश में पैदावार की अपार संभावनाएं हैं, जिसका मूल्यांकन पैदावार के अंतर को कम करने के लिए किया जाना चाहिए।[15]

निम्न कृषि आय

कम कृषि पैदावार किसानों के लिए कम और असुरक्षित आय में बदल जाती है और कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा कम मूल्य वाली कृषि को समर्पित हो जाता है।[16] प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक

आय 2013-14 में 6,426 रुपए से 59% बढ़कर 2018-19 में 10,218 रुपए हो गई।[17,18]

2018-19 में एक कृषि परिवार की कुल आय में से 40% मजदूरी से आय थी, 37% फसल उत्पादन से शुद्ध प्राप्तियां थी और 15% पशुपालन से थी। यह आय विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है, मेघालय में सबसे अधिक (29,348 रुपए) और झारखंड में सबसे कम (4,895 रुपए) (अनुलग्नक में तालिका 12 देखें)।[17]

तालिका 4: विभिन्न आकारों की भूजोत वाले कृषि परिवारों के लिए आय के स्रोत अलग-अलग (2018-19, प्रति परिवार आय रुपए में)

भू आकार (हेक्टेयर)	आय	फसल उत्पादन	पशुपालन	अन्य स्रोत
< 0.01 हेक्टेयर	6,435	1,160	2,084	1,026
0.01-0.40	4,491	977	1,162	892
0.40-1	3,906	2,683	1,335	646
2.01-2	3,647	5,269	1,845	687
2.01-4	3,548	9,435	2,551	904
4.01-10	4,273	19,645	3,451	923
10+	3,943	43,599	11,473	1,743
सभी आकार	**4,063**	**3,798**	**1,582**	**775**

स्रोत: कृषि लागत और मूल्य आयोग; पीआरएस।

कृषि और संबद्ध गतिविधियों में कार्यरत महिलाओं की हिस्सेदारी 2018-19 से लगातार बढ़ रही है। इसके निम्नलिखित कारण हैं: (i) कोविड-19 महामारी के बाद काम के अवसरों में गिरावट के कारण कृषि में निर्वाह गतिविधियों की वापसी, और (ii) कृषि में संबद्ध उप-क्षेत्रों में, जोकि श्रम गहन हैं, रोजगार में उच्च वृद्धि।[19,20]

2023-24 में कृषि में कार्यरत कुल पुरुषों में से 22% घरेलू उद्यमों में अवैतनिक सहायक के रूप में काम कर रहे थे।[4] अवैतनिक घरेलू कर्मचारी घरेलू खेत या गैर-कृषि गतिविधियों में आर्थिक गतिविधियों में सहायता करते थे।[4] इसकी तुलना में कृषि में कार्यरत कुल महिलाओं में से 51% घरेलू उद्यमों में अवैतनिक सहायक के रूप में काम कर रही थीं।[4]

कृषि उत्पादकता और किसानों की आय कृषि इनपुट्स से जुड़ी समस्याओं से भी प्रभावित होती है जैसे: (i) छोटी जोत, (ii) बीजों की गुणवत्ता, (iii) सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच, (iv) उर्वरकों और कीटनाशकों का असंतुलित उपयोग। हम नीचे कृषि इनपुट्स से संबंधित समस्याओं पर नजर डालते हैं।

भूजोत का खंडित होना

2006 में राष्ट्रीय कृषि आयोग (चेयर: एम.एस. स्वामीनाथन) ने कहा था कि खंडित और बिखरी हुई क्रियाशील कृषि जोत उत्पादकता के लिए एक बड़ी चुनौती है। एक क्रियाशील कृषि जोत वह संपूर्ण भूमि होती है जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से कृषि उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है और अकेले एक व्यक्ति द्वारा एक इकाई के रूप में संचालित की जाती है।[21] इस तरह के खंडित भूमि स्वामित्व पैटर्न के कारण कृषि इनपुट्स का कुशल उपयोग नहीं हो पाता।[22] छोटे किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे (i) दक्षता और प्रौद्योगिकी में बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं की कमी, (ii) सस्ती दर पर वित्तपोषण उपलब्ध न होना, और (iii) व्यापार, विपणन और भंडारण के लिए लॉजिस्टिक्स की सुविधा न होना।[23] ये चुनौतियां छोटे किसानों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को प्रभावित करती हैं।[23]

तालिका 5: भूमि के आकार के अनुसार कृषि जोतों की संख्या

श्रेणी	भूजोतों की संख्या (in '000)		
	2005-06	2010-11	2015-16
सीमांत (1 हेक्टेयर से कम)	83,694	92,826	1,00,251
छोटी (1 से 2 हेक्टेयर)	23,930	24,779	25,809
अर्ध-मध्यम (2 से 4 हेक्टेयर)	14,127	13,896	13,993
मध्यम (4 से 10 हेक्टेयर)	6,375	5,875	5,561
बड़ी (10 हेक्टेयर और उससे अधिक)	1,096	973	838
सभी भूजोत	**1,29,222**	**1,38,349**	**1,46,452**

स्रोत: कृषि सांख्यिकी एक नज़र 2023, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; पीआरएस।

2015-16 में देश में कुल क्रियाशील जोत का 86% हिस्सा दो हेक्टेयर (छोटी और सीमांत जोत) से कम था।[24]

तालिका 6: 2005 से 2016 के बीच कृषि क्षेत्र और भूजोत के औसत आकार में गिरावट

	2005-06	2010-11	2015-16
क्षेत्र (हजार हेक्टेयर में)	1,58,323	1,59,592	1,57,817
भूजोतों का औसत आकार	1.23	1.15	1.08

स्रोत: कृषि सांख्यिकी एक नज़र 2023, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; पीआरएस।

जबकि 2005-06 और 2015-16 के बीच क्रियाशील कृषि जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है, कृषि क्षेत्र और भूजोत के औसत आकार में गिरावट आई है। इस अवधि में औसत कृषि जोत का आकार 1.23 हेक्टेयर से घटकर 1.08 हेक्टेयर हो गया है (तालिका 6 देखें)।

राष्ट्रीय किसान आयोग (2006) ने यह भी कहा कि बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि पर दबाव और वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की कमी के कारण छोटी और आर्थिक रूप से गैर-व्यवहार्य भूजोतों की संख्या में वृद्धि हुई है। किसानों की आय दोगुनी करने से संबंधित कमिटी (डीएफआई) ने कहा कि भूमि का विखंडन भूमि के विभाजन और उत्तराधिकारियों के बीच भूमि साझा करने से भी जुड़ा है।

डीएफआई कमिटी ने जो समाधान पेश किए, उनमें से एक यह था कि किसानों को एकजुट किया जाए और भूजोतों के विखंडन को कम करने के लिए भूमि की पूलिंग को बढ़ावा दिया जाए।[25,26] किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) जैसी संरचनाएं किसानों को संपूर्ण कृषि मूल्य श्रृंखला में बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ प्रदान करती हैं। सामूहिकता से उच्च सामूहिक उत्पादन, भूमि उत्पादकता में वृद्धि और प्रत्येक किसान-सदस्य को उच्च सौदेबाजी की शक्ति प्राप्त होती है।[26]

सरकार ने 2020 में 6,865 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 10,000 एफपीओ का गठन और संवर्धन योजना शुरू की।[27] इस योजना का लक्ष्य कुशल, लागत प्रभावी और स्थायी संसाधन उपयोग के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है।[28] अगस्त 2024 तक देशभर में 8,875 एफपीओ और 19.7 लाख शेयरधारक किसान पंजीकृत हो चुके हैं।[29] 2025-26 में सरकार ने एफपीओ योजना के लिए 584 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं जो 2024-25 के संशोधित अनुमान के समान है। योजना के तहत एफपीओ को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रति एफपीओ 18 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।[28]

उत्तम दर्जे के बीजों तक पहुंच

डीएफआई कमिटी (2018) के अनुसार, किसान मुख्य रूप से (60-65%) खेत में बचाए गए या बिना लेबल वाले बीजों का उपयोग करते हैं।[30] उसने कहा कि गुणवत्तापूर्ण बीजों के उपयोग से कृषि उत्पादकता 15-20% तक बढ़ने की संभावना है।

प्रमाणित बीजों की उपलब्धता फसलों के लिए इष्टतम उत्पादन सुनिश्चित करने में एक और महत्वपूर्ण कारक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी फसल की वृद्धि और स्वास्थ्य पर्याप्त मात्रा में बीजों की समय पर उपलब्धता पर निर्भर करता है।[12] 2022-23 में 464 लाख क्विंटल की कुल आवश्यकता के मुकाबले, बीजों की कुल उपलब्धता 514 लाख क्विंटल थी।[9] हालांकि कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के विकास और वितरण को प्राथमिकता देने की बहुत जरूरत है।[12]

गुणवत्तापूर्ण बीजों तक पहुंच को बीज प्रतिस्थापन दर (एसआरआर) द्वारा मापा जाता है। यह ऐसे कुल फसली क्षेत्र का माप होता है जिसमें प्रमाणित बीज लगाए जाते हैं।[31] एक बेहतर एसआरआर बेहतर प्रमाणित बीज उपयोग को दर्शाता है और इसका सीधा संबंध बेहतर कृषि उत्पादकता से है।[12] कुछ प्रमुख फसलों के लिए एसआरआर की प्रवृत्ति के लिए तालिका 7 देखें। नीति आयोग (2018) ने कहा था कि मांग-आपूर्ति के बेमेल होने और कम उत्पादन के कारण भारत में एसआरआर कम बनी हुई है।[32]

तालिका 7: विभिन्न फसलों के लिए एसआरआर (% में) बनाम किसानों की आय दोगुनी करने से संबंधित कमिटी के एसआरआर अनुमान

फसल	2011-12	2022-23	2022 तक अनुमानित एसआरआर
धान	38%	39%	40%
गेहूं	33%	42%	41%
मक्का	54%	62%	100%
मूंगफली	25%	29%	33%
सोयाबीन	36%	42%	40%

स्रोत: किसानों की आय दोगुनी करने पर रिपोर्ट; आईसीएआर; कृषि लागत और मूल्य आयोग; पीआरएस।

भारत में बीज वितरण प्रणाली में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रणालियां शामिल हैं, जैसे सामुदायिक स्तर पर विनिमय तंत्र, किसान प्रबंधित बीज प्रणालियां, राज्य सरकार की एजेंसियां, सरकारी सहायता प्राप्त और अन्य सहकारी समितियां और निजी कंपनियां/व्यक्ति।[33] 2022-23 में बीजों की कुल उपलब्धता में से 26% की आपूर्ति सार्वजनिक क्षेत्र (राज्य और केंद्रीय वितरण) द्वारा की गई थी, जबकि 74% वितरण निजी वितरकों (380 लाख क्विंटल) के माध्यम से किया गया था।[24]

वर्षा आधारित कृषि पर बढ़ती निर्भरता

भारत में फसलों के तहत कृषि क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर है।[9] 2022-23 में शुद्ध बुवाई क्षेत्र का 56% वर्ष में कम से कम एक बार सिंचित किया गया था।[34] कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, सभी फसलों के तहत सिंचित क्षेत्र के 55% में सिर्फ चावल और गेहूं उगता है (तालिका 8 देखें)।[34] 2022-23 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 63% कुओं (ट्यूबवेल और अन्य कुओं) के माध्यम से सींचा गया था। इसके बाद 23% नहरों के माध्यम से सिंचित था।[34]

तालिका 8: सिंचाई के तहत फसलें (2022-23, हजार हेक्टेयर में)

फसल	सिंचाई के तहत क्षेत्र	कुल सिंचित क्षेत्र का हिस्सा
धान	34,140	28%
गेहूं	33,434	27%
फल और सब्जियां	9,369	8%
रेपसीड और सरसों	7,884	6%
गन्ना	6,716	5%
कपास	4,926	4%
अन्य	22,491	18%
सभी फसलों के तहत कुल सिंचाई क्षेत्र	**1,22,294**	-

स्रोत: भूमि उपयोग सांख्यिकी एक नजर में: 2022-23, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; पीआरएस।

कृषि में जल उपयोग दक्षता में सुधार और सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2015-16 में पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रति फसल अधिक बूंद योजना शुरू की। 2015-25 के बीच इस योजना ने सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के तहत 94 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया है।[35] 2019-20 से 2023-24 के बीच इस योजना से 48 लाख किसानों को फायदा हुआ है।[36]

सिंचाई के अधिकांश स्रोतों की खराब सिंचाई दक्षता

देश में 69% धान और 96% गेहूं की खेती सिंचाई तकनीकों का उपयोग करके की जाती है।[34] हालांकि सिंचाई के अधिकांश प्रमुख स्रोतों की सिंचाई दक्षता बहुत खराब बनी हुई है।[37] सिंचाई दक्षता को कुल सिंचित क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर सकल जल उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है।[37] डीएफआई कमिटी ने अनुमान लगाया था कि प्रति हेक्टेयर फसलों में पानी के अत्यधिक उपयोग के कारण अधिकांश सतही सिंचाई प्रणालियों की निम्न सिंचाई दक्षता 35%-45% तक हो गई है।[37] भूजल के लिए सिंचाई दक्षता 65% थी।[37] सिंचाई के तहत अधिकांश भूमि बाढ़ सिंचाई का उपयोग करके सिंचित की जाती है, जिससे जल दक्षता कम हो जाती है।[38]

इनपुट सबसिडी और सुनिश्चित खरीद ने जल-गहन फसलों के प्रति किसानों को आकर्षित किया है

2022-23 में कुल फसली क्षेत्र के 42% हिस्से में धान, गेहूं और गन्ना जैसी जल गहन फसलों की

खेती की गई थी।[34] आर्थिक सर्वेक्षण (2018-19) में कहा गया है कि एमएसपी और बिजली, पानी और उर्वरकों के लिए इनपुट सबसिडी जैसे प्रोत्साहनों ने फसल पैटर्न को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।[39] इन प्रोत्साहनों के कारण जल गहन फसलों के लिए भूजल का अत्यधिक उपयोग हुआ है। चावल, गेहूं और गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्यों (महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा) में नाबार्ड ने जल संसाधन उपलब्धता की स्थिति को तनावग्रस्त और अत्यधिक तनावग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया है (अनुलग्नक में तालिका 13 देखें)।[40]

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना (पीएम-कुसुम) के तहत, केंद्र सरकार सौर कृषि पंपों की स्थापना के लिए कुल लागत का 30% या 50% तक की सबसिडी प्रदान करती है। मार्च 2021 तक पांच राज्य किसानों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं, जबकि अन्य राज्य किसानों को रियायती दरों पर बिजली दे रहे हैं।[41] इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल हैं।[41]

2018 में नाबार्ड ने कहा था कि आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में, नहर के मुफ्त या अत्यधिक सबसिडी वाले पानी की सुविधा के कारण फसलों की अत्यधिक सिंचाई हो रही है।[40] इससे कुछ क्षेत्रों में पानी और ऊर्जा की जरूरतों का व्यर्थ उपयोग हो रहा है, साथ ही कुछ अन्य क्षेत्रों में भी पानी की कमी हो रही है।[40]

सरकार ने 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) शुरू की थी, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य थे: (i) सिंचाई के तहत आने वाले क्षेत्रों में वृद्धि करना, (ii) जल उपयोग की कृषि दक्षता में सुधार करना, (iii) सटीक सिंचाई को स्वीकारने की दर बढ़ाना, (iv) जलीय चट्टानों के पुनर्भरण को बढ़ाना, और (v) स्थायी जल संरक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देना।[42]

2021-22 तक यह योजना जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर चलाई जा रही थी और इसमें निम्नलिखित घटक शामिल थे: (i) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, (ii) हर खेत को पानी, (iii) प्रति बूंद अधिक फसल, और (iv) वाटरशेड।[42] 2022-23 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत केवल प्रति बूंद अधिक फसल घटक लागू किया जा रहा है।[43] दिसंबर 2023 तक 2016-23 के बीच देश में 11.5 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया है।[44] इसके अलावा सरकार की ओर से कुल करीब 50 हजार करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।[45] 2025-26 में कृषि मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो संशोधित अनुमान से 42% अधिक है।

रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रत्येक फसल मौसम की शुरुआत से पहले उर्वरकों की माहवार आवश्यकता का आकलन किया जाता है।[46] रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत उर्वरक विभाग देश में उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।[47] मंत्रालय किसानों के लिए सस्ती कीमतों पर उर्वरकों के उत्पादन, आयात और वितरण की योजना बनाकर इसे सुनिश्चित करता है।

सरकार निर्माताओं को उर्वरक उत्पादन पर सबसिडी प्रदान करती है। सबसिडी उर्वरक की लागत का 30-70% तक होती है और कंपनियों को दी जाती है। यह सबसिडी किसानों को रियायती अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर दी जाती है।[48]

2025-26 में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने निम्नलिखित के लिए 1,67,887 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं: (i) यूरिया सबसिडी और (ii) फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) सबसिडी (एनबीएस सबसिडी)। यह 2024-25 के संशोधित अनुमान से 2% कम है।

रेखाचित्र 3: पीएंडके और यूरिया पर दी जाने वाली उर्वरक सबसिडी साल-दर-साल बढ़ी (करोड़ रुपए में)

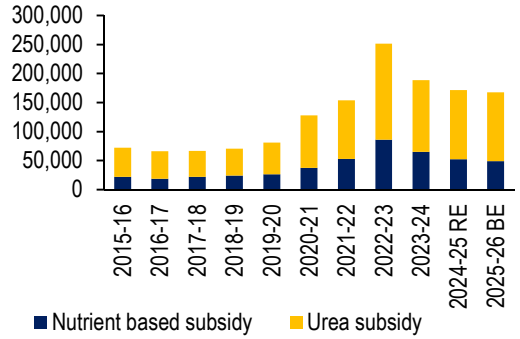

स्रोत: वक्तव्य 17, विभिन्न वर्षों का केंद्रीय बजट; पीआरएस।

2025-26 में कुल उर्वरक सबसिडी केंद्र सरकार के कुल बजट का 3.3% होने का अनुमान है। पिछले 10 वर्षों में यूरिया और पीएंडके के लिए प्रदान की जाने वाली उर्वरक सबसिडी में 13% की वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुई है (रेखाचित्र 3 देखें)। उच्च इनपुट लागत, भूराजनीतिक तनाव, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और चीन में निर्यात प्रतिबंध के कारण 2022-23 में सबसिडी बिल में काफी वृद्धि हुई।[49]

पीएंडके उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सबसिडी (एनबीएस) योजना के तहत, उर्वरक कंपनियों द्वारा सरकार की निगरानी में उचित स्तर पर एमआरपी तय की जाती है।[50] अप्रैल 2024 में कैबिनेट ने एनबीएस योजना से परे डि-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक (पी एंड के उर्वरक का एक ग्रेड) पर एक बार के विशेष पैकेज को मंजूरी दी थी।[50] डीएपी की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए इसे जनवरी 2025 में अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया था।[51] मंत्रालय का अनुमान है कि इस सबसिडी के लिए बजटीय आवश्यकता 3,850 करोड़ रुपए होगी।[51]

आयात पर निर्भरता

2023-24 में उर्वरक कंपनियों ने 96 लाख टन उर्वरकों का आयात किया जो देश में कुल उर्वरक उपलब्धता का 31% है।[52] रसायन एवं उर्वरकों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने कहा कि यूरिया देश में उपभोग होने वाला प्रमुख उर्वरक है और घरेलू आवश्यकता का लगभग 20% आयात किया जाता है।[48] इसके अलावा डीएपी के लिए घरेलू आवश्यकता का 50-60% आयात किया जाता है।[48] पोटाश उर्वरक (एमओपी) के मामले में देश अपनी शत प्रतिशत आवश्यकता के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है।[48]

रेखाचित्र 4: 2023-24 में उपलब्ध उर्वरकों की कुल आपूर्ति का लगभग 31% आयात किया गया था

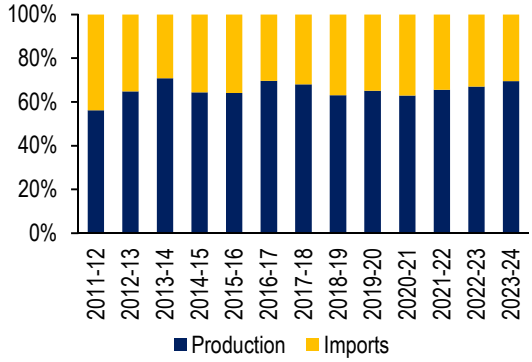

स्रोत: कृषि सांख्यिकी एक नज़र 2023, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; पीआरएस।

रसायन और उर्वरकों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने कहा था कि उर्वरकों की घरेलू उत्पादन क्षमता आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।[52] उसने सुझाव दिया कि सरकार को अपनी उर्वरक उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक उपाय करने चाहिए।[52]

सरकार ने आयात निर्भरता को कम करने और स्वदेशी यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2013 में नई निवेश नीति (एनआईपी) को अधिसूचित किया।[48] दिसंबर 2024 तक निजी और संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा एनआईपी के तहत छह नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं।[53] नई इकाइयों ने कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता को 2014-15 में 208 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (LMTPA) से बढ़ाकर 2023-24 तक 284 LMTPA कर दिया है।[53]

वर्तमान में उर्वरक कंपनियों को उत्पादन लागत, प्रौद्योगिकी और निर्माताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले इनपुट जैसे मापदंडों के आधार पर उर्वरक सबसिडी प्रदान की जाती है।[48] रसायन और उर्वरकों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने कहा था कि कई मैन्यूफैक्चरिंग संयंत्र पुरानी तकनीक के साथ काम करते हैं और सबसिडी संयंत्रों को आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए हतोत्साहित करती है।[48]

कमिटी ने यह भी कहा था कि इससे सरकार को उच्च सबसिडी के मुकाबले, अक्षमताओं की उच्च लागत वहन करनी पड़ी।[52] उत्पादन अक्षमता से जुड़ी उच्च लागत को कम करने के लिए कमिटी ने किसानों को सबसिडी के प्रत्यक्ष हस्तांतरण का सुझाव दिया था।[52]

2015 में सरकार ने नई यूरिया नीति (एनयूपी) को निम्नलिखित उद्देश्यों से अधिसूचित किया था: (i) स्वदेशी यूरिया उत्पादन को अधिकतम करना, (ii) ऊर्जा कुशल यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देना, और (iii) सरकार पर सबसिडी का बोझ कम करना।[48] एनयूपी ने 20-25 LMT अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जोड़ी है।[53]

उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग

राष्ट्रीय स्तर पर एनपीके उर्वरकों के प्रयोग के लिए आदर्श अनुपात 4:2:1 माना जाता है।[46] लेकिन देश में यह अनुपात बिगड़ा हुआ है। इसका कारण यह है कि मिट्टी के लिए नाइट्रोजन महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए इसका प्रयोग भी ज्यादा किया जाता है। 2019-20 में एनपीके का उपभोग अनुपात 7:2.8:1. था।[10][46] रसायन और उर्वरकों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2024) ने कहा था कि पीएंडके उर्वरकों की कीमतें बाजार द्वारा निर्धारित होती हैं, जबकि यूरिया की कीमतें सरकार द्वारा नियंत्रित होती हैं।[46] पिछले कई वर्षों से इससे राज्यों में यूरिया की अधिक खपत हुई है (तालिका 9 देखें)।

तालिका 9: कुछ राज्यों के लिए उर्वरक उपयोग अनुपात में असंतुलन (2019-20, वास्तविक बनाम मानक)

राज्य		एन	पी	के
गुजरात	आदर्श	2.7	1	1
	वास्तविक	11.4	3.4	1
हरियाणा	आदर्श	4	1.7	1
	वास्तविक	28.2	8	1
झारखंड	आदर्श	2	1.2	1
	वास्तविक	26.4	9	1
मध्य प्रदेश	आदर्श	2.4	2.6	1
	वास्तविक	14.4	7.7	1
पंजाब	आदर्श	4	1.6	1
	वास्तविक	34.9	8.4	1
राजस्थान	आदर्श	10.3	5.7	1
	वास्तविक	58	22.8	1
उत्तर प्रदेश	आदर्श	3	1.3	1
	वास्तविक	18.2	6	1

स्रोत: भारतीय कृषि के लिए एक नया प्रतिमान, नीति आयोग, 2022; पीआरएस।

यूरिया या नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी का स्वास्थ्य और गुणवत्ता खराब हो गई है।[46] उर्वरक उपयोग असंतुलन भी राज्यों में अलग-अलग है, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में गंभीर असंतुलन है (विवरण के लिए, अनुलग्नक में तालिका 16 देखें)।[54]

जून 2023 में सरकार ने धरती माता की पुनर्स्थापना, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम) की शुरुआत की।[55] इस योजना का उद्देश्य राज्यों को अप्रयुक्त उर्वरक सबसिडी निधि से अनुदान की पेशकश करके रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है।[55] 2014-15 में सरकार ने देश में किसानों के लिए मिट्टी के नमूने, परीक्षण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) के प्रावधान का एक कार्यक्रम भी शुरू किया था।[56] ये एसएचसी किसानों को उनके खेतों में पोषक तत्वों की स्थिति और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की अनुशंसित खुराक की जानकारी प्रदान करते हैं।[56] दिसंबर 2023 तक कुल 23.6 करोड़ एसएचसी जारी और किसानों को वितरित किए गए हैं।[57]

निवेश और ऋण तक पहुंच

कृषि क्षेत्र में निश्चित पूंजी निवेश, कृषि उत्पादकता और विकास का एक प्रमुख वाहक है।[37] 2022-23 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कुल निवेश में से 86% (6,26,720 करोड़ रुपए) निजी क्षेत्र द्वारा, जबकि शेष सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा था।[24]

वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, पूंजी निवेश में बढ़ोतरी जरूर हुई है लेकिन कृषि में निवेश को बढ़ावा देने की अब भी जरूरत है।[10] कृषि और संबद्ध क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि भी क्षेत्र में स्थिर पूंजी निवेश में वृद्धि के अनुरूप नहीं है।[24]

कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) की स्थापना 2020 में की गई थी।[58] इसे फार्मगेट और किसान उत्पादक संगठनों और कृषि सहकारी समितियों जैसे एग्रीगेशन प्वाइंट्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के वित्तपोषण के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।[59] कोष के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की वित्तपोषण सुविधा का प्रावधान किया गया है (कोष के तहत राज्यवार अस्थायी आवंटन के लिए अनुलग्नक में तालिका 14 देखें)। ये ऋण 9% की ब्याज दर सीमा के साथ ऋण देने वाली संस्थाओं के माध्यम से वितरित किए जाने हैं।[60] जुलाई 2024 तक 46,080 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जा चुके हैं (तालिका 10 देखें)।[60] 2024 में कृषि से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी ने सुझाव दिया कि सरकार को सार्वजनिक वित्त पोषण में अंतराल को भरने के लिए एआईएफ में अधिक धनराशि लगानी चाहिए।[61]

तालिका 10: कृषि अवसंरचना कोष के तहत स्वीकृत ऋण (जुलाई 2024 तक)

वर्ष	स्वीकृत ऋणों की संख्या	स्वीकृत ऋण राशि (करोड़ रुपए में)
2020-21	5,682	3,838
2021-22	5,785	5,749
2022-23	15,973	13,031
2023-24	33,915	17,399
2024-25*	10,867	6,063
कुल	**72,222**	**46,080**

नोट: *26 जुलाई, 2024 तक। स्रोत: तारांकित प्रश्न संख्या 101, लोकसभा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, 30 जुलाई, 2024; पीआरएस।

कोष के तहत, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों, गोदामों, छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयों और कोल्ड स्टोर परियोजनाओं सहित 72,222 परियोजनाओं को धन आवंटित किया गया है।[60]

किफायती ऋण तक पहुंच

किसानों को सही इनपुट देकर कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किफायती ऋण तक पहुंच महत्वपूर्ण है।[37] पिछले 10 वर्षों में किसानों तक संस्थागत ऋण की पहुंच में सुधार हुआ है। यह 14% की वार्षिक औसत दर से बढ़ रहा है।[24] 2023-24 में 24.8 लाख करोड़ रुपए के संस्थागत ऋण कृषि क्षेत्र में दिए गए थे। हालांकि सीमांत और छोटे किसानों में ऋणग्रस्तता बनी हुई है (रेखाचित्र 5 देखें)।[24] कुल ऋणग्रस्त परिवारों में से लगभग 63% के पास एक हेक्टेयर से कम भूमि है।[24]

रेखाचित्र 5: भूमि के आकार के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में कृषि परिवारों की ऋणग्रस्तता

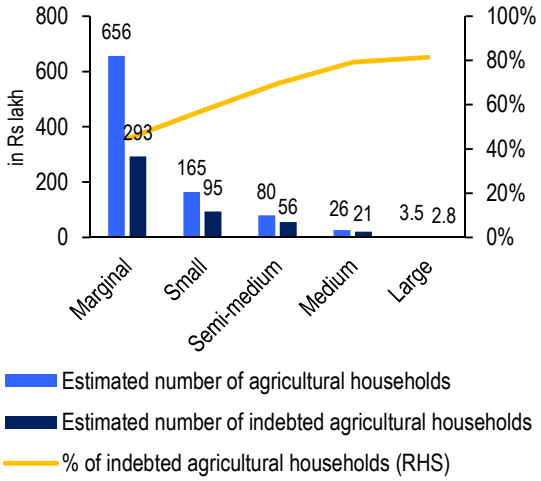

स्रोत: कृषि सांख्यिकी एक नज़र 2023, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; पीआरएस।

भारत में संस्थागत कृषि ऋण तक पहुंच में सुधार हुआ है। कृषि परिवारों के स्थिति आकलन सर्वेक्षण के अनुसार, गैर-संस्थागत स्रोतों से कृषि ऋण का हिस्सा 2013 में 40% से घटकर 2019 में 31% हो गया है।[62,63] हालांकि सीमांत किसानों में गैर-संस्थागत स्रोतों से कृषि ऋण लेने का प्रचलन अधिक ही है (रेखाचित्र 6 देखें)।

रेखाचित्र 6: संस्थागत कृषि ऋण का हिस्सा बड़े आकार के खेत वाले परिवारों में अधिक है

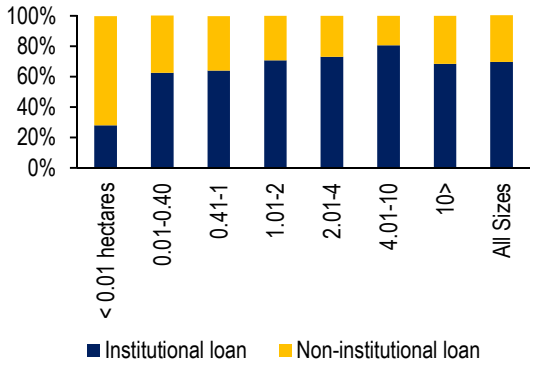

स्रोत: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और परिवारों की भूमि और जोत की स्थिति का आकलन, 2019; पीआरएस।

लगभग 43% कृषि ऋण का उपयोग गैर-कृषि उद्देश्यों जैसे आवास, शिक्षा और चिकित्सा, उपभोग व्यय, और विवाह एवं समारोहों के लिए भी किया जा रहा है।[62] इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों की भूमि वाले परिवारों में कृषि ऋण के उपयोग में काफी भिन्नताएं है।[62] उदाहरण के लिए, 73% कृषि ऋण का उपयोग सीमांत किसानों द्वारा गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जबकि मध्यम आकार के भूमिधारकों के लिए यह 24% है।[62]

रेखाचित्र 7: कृषि ऋण का एक बड़ा हिस्सा गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है

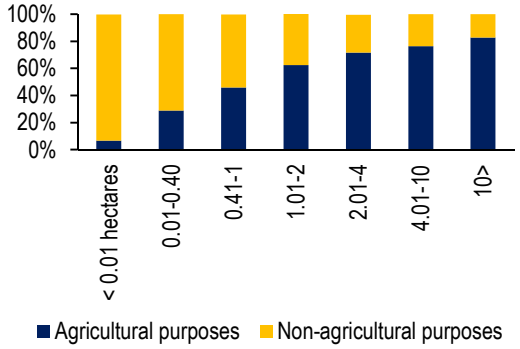

स्रोत: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और परिवारों की भूमि और जोत की स्थिति का आकलन, 2019; पीआरएस।

किसानों को पर्याप्त ऋण आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा शुरू की गई थी।[64] योजना के तहत, किसानों को निम्नलिखित के लिए ऋण की पेशकश की जाती है: (i) फसलों की खेती के लिए अल्पकालिक ऋण, (ii) फसल के बाद के खर्च, (iii) कृषि उपज विपणन ऋण, (iv) घरेलू उपभोग की जरूरतें, (v) कार्यशील पूंजी, और (vi) दीर्घकालिक निवेश ऋण।[64] 2019 में इस योजना के दायरे में पशुपालन और मत्स्य पालन में लगे किसान भी लाए गए।[65] दिसंबर 2023 तक 7.3 करोड़ खाते 8.9 लाख करोड़ रुपए के बकाया ऋण के साथ चल कर रहे थे।[66]

सरकार ने किसानों को केसीसी के माध्यम से 7% की वार्षिक ब्याज दर पर तीन लाख रुपए तक के अल्पकालिक ऋण की पेशकश करने के लिए 2006-07 में ब्याज छूट योजना भी शुरू की।[67] समय पर पुनर्भुगतान के लिए अतिरिक्त 3% ब्याज छूट की भी पेशकश की जाती है।[67] इस योजना को 2022 में संशोधित किया गया ताकि 2022-25 के बीच ऋण देने वाले संस्थानों को 1.5% ब्याज छूट दी जा सके।[68] 2025-26 में संशोधित ब्याज सहायता योजना को 22,600 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान के समान है।

रेखाचित्र 8: विभिन्न अवधियों के लिए संस्थागत स्रोतों से लिया गया कृषि ऋण (% में)

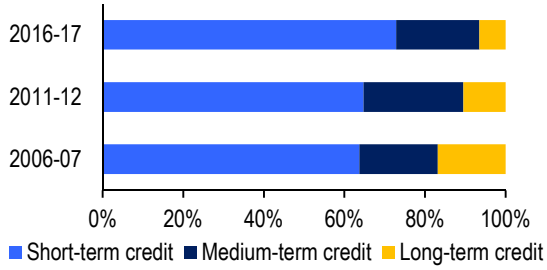

स्रोत: कृषि सांख्यिकी एक नज़र 2023, और 2016 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; इनपुट सर्वेक्षण 2006-07, कृषि जनगणना; पीआरएस।

देश में कृषि ऋण की स्थिति की समीक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2019 में एक कार्य समूह का गठन किया गया था।[69] कार्य समूह ने कहा था कि ब्याज छूट योजना इस क्षेत्र में फसल-संबंधी निवेश ऋण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।[69] हालांकि योजना के तहत सब-वेंटेड ब्याज दरों पर प्रदान किए गए अल्पकालिक ऋण की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।[69] 2006-07 और 2016-17 के बीच कुल संस्थागत ऋण में अल्पकालिक ऋण की हिस्सेदारी 64% से बढ़कर 73% हो गई है। (रेखाचित्र 8 देखें)।[70]

बीमा कवरेज

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) पर मंत्रालय द्वारा दूसरा, सबसे अधिक खर्च किया जाता है। फसल बीमा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, मौसम की चरम स्थितियों और अन्य गैर-रोकथामकारी जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है।[12] सरकार ने किसानों को सस्ता फसल बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से 2016 में पीएमएफबीवाई शुरू की थी। यह योजना बुआई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक के चरणों के लिए व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान करती है।[12] इसमें अधिसूचित खाद्य फसलें, तिलहन और बागवानी फसलें उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसानों को शामिल किया गया है।[71] किसान खरीफ फसलों के लिए बीमा राशि का 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी उपज के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान करते हैं।[71] बाकी प्रीमियम का खर्च राज्य और केंद्र बराबर-बराबर साझा करते हैं।[71]

जनवरी 2025 तक योजना के तहत कुल 4,803 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा किया गया है जिसमें बीमा राशि 19.5 लाख करोड़ रुपए है।[72] योजना के तहत अब तक लगभग 68 करोड़ किसानों का बीमा किया जा चुका है।[72] 2025-26 में सरकार ने फसल बीमा योजना के लिए 12,242 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह 2024-25 के संशोधित अनुमान से 23% कम है और 2018-19 के बाद से सबसे कम आवंटन है। इसके अलावा किसानों को भुगतान किए जाने वाले बीमा दावों की राशि में भी गिरावट आ रही है (रेखाचित्र 9 देखें)।

रेखाचित्र 9: पीएम फसल बीमा योजना के तहत भुगतान किए गए बीमा दावों में 2017-18 से गिरावट (करोड़ रुपए में)

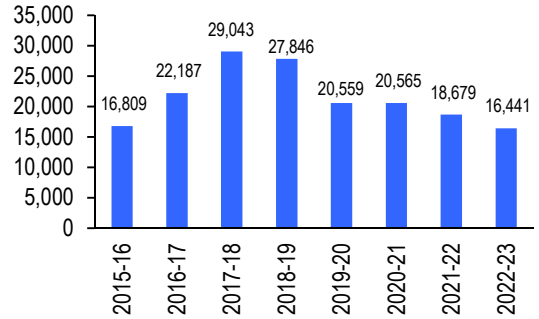

स्रोत: पीएम फसल बीमा योजना डैशबोर्ड; पीआरएस।

कृषि से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2021) ने कहा था कि दावों के निपटान में देरी एक प्रमुख मुद्दा है।[73] राज्यों द्वारा बीमा कंपनियों को सबसिडी की राशि देने में विलंब, बीमा कंपनियों द्वारा दावों को प्रोसेस करने में देर करना और उपज संबंधी विवादों के कारण यह देरी होती है।[73] तब कमिटी (2021) ने सुझाव दिया था कि एक समय सीमा लागू की जानी चाहिए जिसमें बीमा कंपनियों द्वारा दावों का निपटान किया जाए।[73]

कमिटी (2021) ने किसानों के बीच पीएमएफबीवाई के बारे में जागरूकता की कमी पर भी गौर किया। इस योजना को 2020 में किसानों के लिए स्वैच्छिक बना दिया गया था।[73] नाबार्ड के अनुसार, 10% कृषि परिवारों के पास फसल बीमा था जबकि 2% के पास पशुधन बीमा था।[74] उसने यह भी कहा कि 2019 में 39% किसानों ने जागरूकता की कमी के कारण फसल बीमा का लाभ नहीं उठाया, जबकि 23% ने कहा कि उन्हें फसल बीमा की आवश्यकता नहीं है।[75]

पैदावार के बाद का बुनियादी ढांचा

फसल के बाद होने वाला बड़ा नुकसान

कई कृषि और संबद्ध उत्पाद प्रकृति में मौसमी और खराब होने वाले होते हैं, जिन्हें कम समय में प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है।[76] नाबार्ड के एक अध्ययन में कहा गया है कि 2020-21 में नष्ट हुई कृषि उपज की मात्रा 69 मिलियन मीट्रिक टन थी (कुल का 5.5%, तालिका 11 देखें)।[77] ये नुकसान 1.5 लाख करोड़ रुपए का था, जिसमें सबसे अधिक नुकसान नष्ट होने वाली वस्तुओं के

कारण हुआ था।[77] कृषि से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2024) का कहना है कि फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने के लिए प्रसंस्करण और भंडारण के लिए अनुकूल नीतियों और बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता है।[78]

तालिका 11: 2020-21 में कटाई उपरांत नुकसान

श्रेणी	नष्ट हुई मात्रा (मिलियन टन में)	मौद्रिक नुकसान (करोड़ रुपए में)
पशुधन उपज	3	29,871
फल	7.3	29,545
सब्ज़ियां	12	27,459
अनाज	12.5	26,001
बागान फसलें	30.6	16,413
तिलहन	2.1	10,925
दलहन	1.4	9,289
कुल	**68.9**	**1,49,503**

स्रोत: भारत में कृषि उपज में फसल कटाई के बाद के नुकसान का निर्धारण करने के लिए अध्ययन- 2022, नैबकॉन्स, एमओएफपीआई; पीआरएस।

नष्ट होने वाली वस्तुओं के नुकसान का एक प्रमुख कारण यह है कि फार्म गेट और उपभोक्ताओं के बीच भंडारण का इंफ्रास्ट्रक्चर अपर्याप्त और अकुशल है।[79] खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कई छोटी, सूक्ष्म और लघु इकाइयां शामिल हैं जो सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और उसमें निवेश करने में सक्षम नहीं हैं।[79]

इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण प्रभावित होते हैं।[80] इसीलिए ग्रेडिंग और पैकिंग केंद्रों, नियंत्रित वातावरण भंडारण इकाइयों (शुष्क और शीत भंडारण), रीफर वैन और बंदरगाहों/हवाई अड्डों/रेलवे स्टेशनों पर कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं में निवेश की आवश्यकता है।[79] इस संबंध में डीएफआई कमिटी (2017) ने अधिक प्रभावी बाजार संबंध बनाने के लिए लॉजिस्टिक्स और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के एकीकरण पर जोर दिया था।[81]

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पीएम किसान संपदा योजना लागू कर रहा है। यह योजना भंडारण और परिवहन संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि-प्रसंस्करण समूहों और खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं के निर्माण का लक्ष्य रखती है। डॉ. सौमित्र चौधरी कमिटी (2012) ने देश में कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता 61 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया था।[82] दिसंबर 2023 तक देश में कोल्ड स्टोरेज क्षमता 39.4 मिलियन टन होने का अनुमान है।[83] इसी तरह 70,000 पैक हाउस (ताजा उपज के लिए प्रसंस्करण सुविधा) की अनुमानित आवश्यकता के मुकाबले, 2021 में पैक हाउस की कुल संख्या 484 थी।[84,85]

2022 तक इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत 0.8 मिलियन टन की कोल्ड स्टोरेज क्षमता जोड़ी गई थी। यह योजना 2008 में शुरू की गई थी और 2017 से इसे पीएम किसान संपदा योजना के तहत शामिल कर लिया गया है।[76] पूर्ववर्ती मेगा फूड पार्क योजना के तहत, विभिन्न मेगा फूड पार्कों में 1.16 लाख टन की शुष्क वेयरहाउस क्षमता को मंजूरी दी गई है।[86] इस योजना को भी 2017 से पीएमकेएसवाई के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। 2025-26 में इस योजना के लिए 903 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान (630 करोड़ रुपए) से 43% अधिक है।

उत्पादन के बाद का मार्केट लिंकेज

किसानों की आय दोगुनी करने पर कमिटी (2017) ने ऐसे दो प्रमुख लिंकेज पर जोर दिया था जिनके जरिए किसानों और बाजार के बीच संबंध मजबूत होते हैं। ये हैं: (i) उत्पादन के बाद के चरण के लिए भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, और (ii) बाजारों से किसानों तक सूचना प्रवाह।[81]

भारत में थोक कृषि की मार्केटिंग ऐसे नेटवर्क से की जाती है जो रेगुलेटेड हैं।[81] ये बाजार संबंधित राज्य कृषि उपज बाजार कमिटी (एपीएमसी) एक्ट के प्रावधानों के तहत स्थापित किए जाते हैं।[81] मार्च 2023 तक देश में एपीएमसी रेगुलेटेड 7,085 मंडियां थीं।[87] एक रेगुलेटेड बाजार औसतन 406 वर्ग किमी में सेवा प्रदान करता है (राज्य-वार वितरण के लिए अनुलग्नक में तालिका 17 देखें)।[87]

राज्यों में एपीएमसी निम्नलिखित के जरिए व्यापार को रेगुलेट करती हैं: (i) व्यापारियों या कमीशन एजेंटों को लाइसेंस देना, (ii) एपीएमसी बाजार में कृषि उपज की बिक्री पर बाजार शुल्क/उपकर

लगाना, और (iii) आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करना।[88]

एपीएमसी मार्केट्स का सीमित कवरेज

राष्ट्रीय किसान आयोग (2006) ने सुझाव दिया था कि 5 किमी के खेतों के दायरे में एक बाजार होना चाहिए, यह दूरी पैदल या गाड़ी से एक घंटे में तय की जा सके।[89] 2019 में कृषि से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी ने कहा था कि इस मानदंड को पूरा करने के लिए देश में 41,000 बाजारों की जरूरत होगी।[88] इसके अलावा कमिटी (2019) ने यह भी कहा था कि केवल 15% एपीएमसी बाजारों में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा थी और केवल 49% बाजारों में तौल की सुविधा थी।[88]

एपीएमसी नियमों के अनुसार, एक किसान एपीएमसी के नियंत्रण क्षेत्र के बाहर के खरीदार के साथ स्वतंत्र रूप से लेनदेन नहीं कर सकता।[90] इससे एपीएमसी मंडियों में एकाधिकारवादी बाजारों का निर्माण हुआ है।[90] छोटे और सीमांत किसानों को, जिनकी उपज का आकार अलाभकारी है, थोक बाजारों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।[90] ऐसे मामलों में किसानों को अपनी उपज स्थानीय एग्रीगेटरों को बेचनी पड़ती है, जिससे वे इष्टतम मूल्य प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं।[90] नाबार्ड का कहना है कि किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए, बिचौलियों को नियंत्रित करने की जरूरत है।[89] यह कॉन्ट्रैक्ट पर खेती, प्रत्यक्ष मार्केटिंग और समूहों के माध्यम से एग्रीगेशन जैसे वैकल्पिक मार्केटिंग चैनल्स प्रदान करके किया जा सकता है।[89]

इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-नाम)

सरकार ने कृषि मार्केटिंग में कुशलता को बढ़ावा देने और मूल्य खोज में सुधार के लिए 2016 में ई-नाम योजना शुरू की।[16] इस योजना का उद्देश्य एक सामान्य ऑनलाइन बाजार मंच के माध्यम से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बाजारों को एकीकृत करना है।[91] योजना के तहत, सरकार मुफ्त सॉफ्टवेयर और प्रति एपीएमसी बाजार 75 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करती है। अगस्त 2024 तक 1.7 करोड़ किसान और 2.6 लाख व्यापारी ई-नाम पोर्टल पर पंजीकृत थे।[92,16] मार्च 2023 तक कुल 1,361 मंडियों को भी ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया था।[91] आर्थिक सर्वेक्षण (2023-24) के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल किसानों ने योजना के कार्यान्वयन के बाद अपनी उपज के लिए उच्च कीमतें प्राप्त करने की जानकारी दी।[16] लगभग 54% ने पारदर्शी प्रक्रियाओं और अन्य लाभों के कारण पारंपरिक बाजार की तुलना में ई-नाम पोर्टल के माध्यम से लेनदेन को प्राथमिकता दी।[16] कृषि से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2019) ने सुझाव दिया कि जिन राज्यों में एपीएमसी बाजार मौजूद नहीं, वहां सरकार को ई-नाम योजना का कवरेज बढ़ाना चाहिए।[88] कमिटी ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को किसानों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और योजना में उनकी भागीदारी में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना चाहिए।[88]

कृषि उपज के लिए लाभकारी मूल्य निर्धारण

सरकार विभिन्न उपायों और नीतियों के माध्यम से किसानों को कृषि मूल्य समर्थन प्रदान करती है। ऐसा किसानों को लाभकारी कीमतों का आश्वासन देने के लिए किया जाता है, जबकि सरकार उपज की स्थिर आपूर्ति भी सुनिश्चित कर सकती है।[16]

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) के सुझावों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए एमएसपी तय करती है।[15] इन फसलों में (i) धान, ज्वार, बाजरा, उड़द जैसी 14 खरीफ फसलें, (ii) गेहूं, जौ, चना और सरसों जैसी 6 रबी फसलें, और (iii) गन्ना और कपास सहित 2 वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं।[93] सरकार को केंद्रीय खरीद एजेंसियों के माध्यम से इन फसलों की खरीद का अधिकार है।[93] हालांकि सबसे अधिक खरीद धान और गेहूं के लिए की जाती है। 2023-24 में धान उत्पादन का 43% और गेहूं उत्पादन का 25% सरकार द्वारा खरीदा गया था।[9]

हर मौसम में फसलों के लिए एमएसपी का सुझाव देते समय सीएसीपी निम्नलिखित कारकों पर विचार करता है: (i) उत्पादन की लागत, (ii) समग्र मांग और आपूर्ति, (iii) घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतें, (iv) विभिन्न फसलों के बीच मूल्य

समानता, और (v) कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तें।

रेखाचित्र 10: धान और गेहूं के लिए एमएसपी (रुपए प्रति किलोग्राम में)

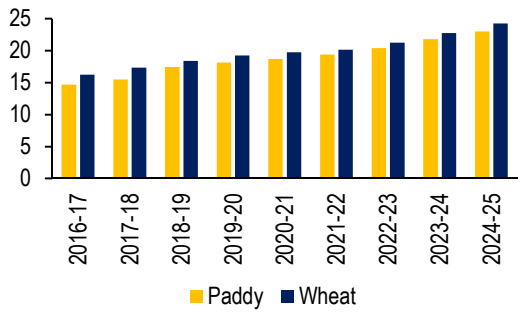

स्रोत: कृषि लागत और मूल्य आयोग, पीआरएस।

फसल वर्ष 2024-25 के लिए सरकार द्वारा धान के लिए निर्धारित एमएसपी 23 रुपए प्रति किलोग्राम और गेहूं के लिए 24.25 रुपए प्रति किलोग्राम है (रेखाचित्र 10 देखें)। 2006 में राष्ट्रीय किसान आयोग ने फसलों के लिए एमएसपी को उत्पादन लागत के भारित औसत से कम से कम 50% अधिक निर्धारित करने का सुझाव दिया था। इस सुझाव को अपनाते हुए सरकार ने 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की थी कि फसलों के लिए एमएसपी उत्पादन लागत का 1.5 गुना तय की जाएगी।

2018 में नीति आयोग ने कहा था कि एमएसपी भौगोलिक स्थितियों और वस्तुओं के लिहाज से समावेशी नहीं है।[94] रिपोर्ट में कहा गया है कि कई राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा खरीद सीमित है, या खरीद की ही नहीं जाती है।[94]

डीएफआई कमिटी (2016) ने कहा था कि धान और गेहूं के अधिक उत्पादन वाले राज्य इन फसलों के लिए सुनिश्चित कीमतों के कारण अन्य फसलों पर ध्यान नहीं देते।[79] ये राज्य धान-गेहूं रोटेशन की पद्धति अपनाते रहते हैं, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है।[79] नीति आयोग (2023) के एक सर्वेक्षण के अनुसार, कम प्रत्यक्ष सरकारी समर्थन वाली वस्तुओं की तुलना में चावल, गेहूं कपास और गन्ना जैसी उच्च सरकारी समर्थन प्राप्त वस्तुओं में अपेक्षाकृत कम उत्पादन वृद्धि देखी जा रही है।[95]

कृषि से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2024) का कहना है कि किसानों की आजीविका की सुरक्षा के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी एमएसपी को लागू करना आवश्यक है।[61] हालांकि किसानों की आय दोगुनी करने वाली कमिटी ने कहा था कि एमएसपी को सभी 22 फसलों के लिए कानूनी गारंटी बनाने से खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।[79] डीएफआई कमिटी ने कहा कि अगर एमएसपी पर अधिक फसलें बेची जाती हैं, तो उपभोक्ताओं को इन फसलों के लिए अधिक भुगतान करना पड़ सकता है, जिससे खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।

मूल्य समर्थन और बाजार हस्तक्षेप

मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत, जब भी एमएसपी अधिसूचित फसलों की बाजार कीमतें एमएसपी से नीचे गिरती हैं, तो सरकार खरीद में हस्तक्षेप करती है।[25] यह खरीद केंद्रीय एजेंसियों जैसे एनएएफईडी, एसएफएसी और एफसीआई के माध्यम से की जाती है।[25] इस योजना के तहत खरीद राज्य के उत्पादन अनुमान के 25% तक सीमित है।[25] डीएफआई कमिटी के अनुसार, योजना के तहत कार्यान्वयन दलहन, तिलहन और कपास तक सीमित कर दिया गया है।[25]

बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) उन बागवानी फसलों के लिए लागू है जो एमएसपी के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।[25] एमआईएस के तहत, पहल तब की जाती है, जब मौजूदा बाजार कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में 10% से अधिक गिर जाती हैं।[25] एमआईएस के तहत खरीद की लागत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा साझा की जाती है।[25] प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) 2018 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य किसानों को तिलहन, दलहन और खोपरा के उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है।[96] सितंबर 2024 में कैबिनेट ने पीएसएस और एमआईएस को पीएम-आशा के तहत एकीकृत कर दिया।[96] इन घटकों के अलावा, इस योजना में मूल्य कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस) भी शामिल है।[96]

पीडीपीएस घटक के तहत, सरकार तिलहन की अधिसूचित एमएसपी और अधिसूचित बाजार में बिक्री मूल्य के बीच मूल्य अंतर का भुगतान करती है।[96] राज्यों के पास पीएसएस या पीडीपीएस में से

किसी एक को लागू करने का विकल्प है।[96] 2025-26 में पीएम-आशा योजना के लिए 6,941 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2018-19 के बाद से इस योजना से 195 लाख मीट्रिक टन दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद से 99.3 लाख किसानों को लाभ हुआ है।[96] इन्हें 1.07 लाख करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य पर खरीदा गया है।[96]

अपने 2025-26 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के साथ दलहन की खरीद के लिए एक नए मिशन की घोषणा की। इस योजना को वर्ष 2025-26 के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2021-22 में दलहन की कुल जरूरत का करीब 9% आयात किया गया।[97,9] नए मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है: (i) उन्नत बीजों का विकास और व्यावसायिक उपलब्धता, (ii) प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाना, (iii) उत्पादकता में वृद्धि, (iv) पैदावार के बाद के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, और (v) किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। 2023-24 में कुल दलहन उत्पादन का केवल 12% सरकार द्वारा खरीदा गया था।[9]

रेखाचित्र 11: दलहन का घरेलू उत्पादन और आयात (लाख टन में)

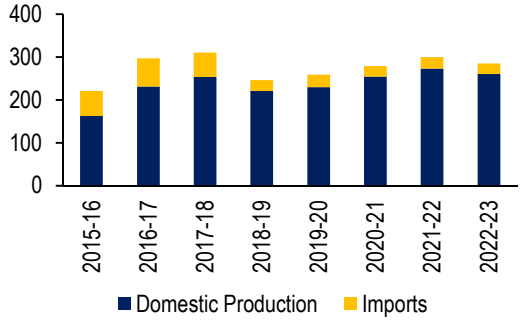

स्रोत: कृषि सांख्यिकी एक नज़र 2023, और 2016 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; पीआरएस।

आर्थिक सर्वेक्षण (2024-25) में कहा गया है कि खाद्य मुद्रास्फीति मुख्य रूप से सब्जियों और दालों के कारण है।[98] 2024-25 (अप्रैल-दिसंबर) में समग्र खाद्य मुद्रास्फीति में दालों और सब्जियों का हिस्सा 32.3% था।[98] आरबीआई की एक रिपोर्ट (2024) में कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दालों की खरीद को बढ़ाने और बहाल रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

कृषि कानून, 2020

सितंबर 2020 में संसद ने तीन कानून पारित किए थे: (i) एपीएमसी बाजारों के भौतिक परिसर से परे किसानों की उपज के मुक्त अंतर-राज्यीय व्यापार को अनुमति देना, (ii) कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए एक रूपरेखा की अनुमति देना और उस रूपरेखा को परिभाषित करना, और (iii) केवल कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कृषि उपज पर स्टॉक सीमा लागू करना।[99,100,101] किसानों के विरोध और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानूनों पर रोक के बाद कृषि कानून निरस्तीकरण बिल, 2021 के माध्यम से तीनों कानूनों को निरस्त कर दिया गया।[102]

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से किसानों को आय सहायता

सरकार ने 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना शुरू की।[103] इस योजना का लक्ष्य सभी खेती योग्य भूमि वाले किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आय सहायता प्रदान करना है। पात्र किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे तीन समान किस्तों में हस्तांतरण किया जाता है। अगस्त 2024 तक करीब 12.85 करोड़ लाभार्थियों को 3.24 लाख करोड़ हस्तांतरित किए जा चुके हैं।[104] कृषि और किसान कल्याण से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2020) ने कहा कि वर्तमान में केवल भूमिधारक किसान परिवार ही इस योजना के तहत कवर किए गए हैं।[105] उसने सुझाव दिया था कि योजना का लाभ भूमिहीन और काश्तकारी करने किसानों को भी मिलना चाहिए।[105] कमिटी ने योजना के कार्यान्वयन में कुछ अन्य मुद्दों पर भी ध्यान दिया जैसे: (i) कुछ राज्यों में भूमि रिकॉर्ड की अनुपलब्धता, (ii) मृत्यु के मामले में उत्तराधिकारियों को भूमि का हस्तांतरण न होना, (iii) नामों के बीच विसंगति के मामले में आधार सत्यापन की धीमी गति, (iv) गलत बैंक विवरण, और (v) खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी।[105]

अनुलग्नक

तालिका 12: कृषि परिवारों की औसत मासिक आय (2018-19, करोड़ रुपए में)

राज्य	वेतन से आय	जमीन पट्टे पर देने से होने वाली आय	फसल उत्पादन से शुद्ध प्राप्तियां	पशुपालन से शुद्ध प्राप्तियां	गैर कृषि कार्य से शुद्ध प्राप्तयां	औसत मासिक आय
आंध्र प्रदेश	4,849	189	2,734	2,046	662	10,480
अरुणाचल प्रदेश	2,976	-	5,818	4,690	5,741	19,225
असम	5,581	36	3,262	1,120	676	10,675
बिहार	2,503	82	2,739	1,739	479	7,542
छत्तीसगढ़	4,444	51	4,336	524	321	9,677
गुजरात	4,415	53	4,318	3,477	369	12,631
हरियाणा	7,861	621	9,092	4,020	1,249	22,841
हिमाचल प्रदेश	6,393	71	2,552	1,811	1,326	12,153
जम्मू एवं कश्मीर	12,171	292	1,980	2,276	2,200	18,918
झारखंड	2,783	24	1,102	827	158	4,895
कर्नाटक	4,576	104	6,835	1,663	264	13,441
केरल	10,201	150	3,638	1,050	2,876	17,915
मध्य प्रदेश	2,488	54	4,309	1,295	193	8,339
महाराष्ट्र	4,324	34	4,747	1,540	847	11,492
मणिपुर	4,147	25	3,221	2,625	1,209	11,227
मेघालय	6,936	106	21,060	842	404	29,348
मिजोरम	6,545	52	8,694	1,750	923	17,964
नगालैंड	3,970	2	2,010	3,801	93	9,877
ओड़िशा	2,649	29	1,569	416	449	5,112
पंजाब	5,981	2,652	12,597	4,457	1,014	26,701
राजस्थान	5,356	77	3,731	2,356	1,000	12,520
सिक्किम	6,469	3	4,065	1,376	534	12,447
तमिलनाडु	6,497	72	2,641	2,000	715	11,924
तेलंगाना	2,961	67	4,937	689	748	9,403
त्रिपुरा	4,974	24	2,912	960	1,048	9,918
उत्तराखंड	3,728	191	5,277	3,292	1,064	13,552
उत्तर प्रदेश	2,900	119	3,290	1,365	387	8,061
पश्चिम बंगाल	3,721	94	1,547	465	935	6,762
अखिल भारतीय	**4,063**	**134**	**3,798**	**1,582**	**641**	**10,218**

स्रोत: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और परिवारों की भूमि एवं जोत की स्थिति का आकलन, 2019, एमओएसपीआई; पीआरएस।

तालिका 13: भूजल निकासी में कृषि की राज्यवार हिस्सेदारी और भूजल निकासी का चरण (2020, % में)

राज्य	सिंचाई के तहत क्षेत्र	वार्षिक जल निकासी में कृषि का हिस्सा	भूजल निकासी का चरण
आंध्र प्रदेश	50%	87%	33%
बिहार	74%	79%	51%
छत्तीसगढ़	36%	85%	46%
गोवा	23%	25%	24%
गुजरात	51%	95%	53%
हरियाणा	91%	90%	135%
झारखंड	14%	57%	29%
कर्नाटक	35%	90%	65%
केरल	20%	44%	52%
मध्य प्रदेश	49%	91%	57%
महाराष्ट्र	24%	92%	55%
ओड़िशा	29%	80%	44%
पंजाब	99%	97%	164%
राजस्थान	44%	86%	150%
तमिलनाडु	56%	92%	83%
तेलंगाना	54%	89%	53%
उत्तर प्रदेश	81%	90%	69%
उत्तराखंड	52%	72%	47%
पश्चिम बंगाल	66%	92%	45%
भारत	**52%**	**89%**	**62%**

नोट: भूजल निष्कर्षण का चरण (एसओई) यह मापता है कि हर साल उपलब्ध भूजल की तुलना में कितना भूजल निकाला जाता है। स्रोत: कृषि के लिए एक नया प्रतिमान, 2020, नीति आयोग; पीआरएस।

तालिका 14: कृषि अवसंरचना कोष के तहत राज्यों को उपलब्ध वित्तपोषण सुविधा और वितरित राशि (मार्च 2023 तक, करोड़ रुपए में)

राज्य	उपलब्ध वित्त पोषण सुविधा	वितरित राशि
आंध्र प्रदेश	6,540	452
अरुणाचल प्रदेश	290	2
असम	2,050	136
बिहार	3,980	133
छत्तीसगढ़	1,990	332
गुजरात	7,282	729
हरियाणा	3,900	575
हिमाचल प्रदेश	925	43
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	900	14
झारखंड	1,445	33
कर्नाटक	4,525	747
केरल	2,520	159
मध्य प्रदेश	7,440	3,208
महाराष्ट्र	8,460	1,233
मणिपुर	200	0.3
मेघालय	190	6
मिजोरम	196	-
नगालैंड	230	2
ओड़िशा	2,500	202
पंजाब	4,713	484
राजस्थान	9,015	820
तमिलनाडु	5,990	347
तेलंगाना	3,075	688
त्रिपुरा	360	-
उत्तर प्रदेश	12,831	819
उत्तराखंड	785	58
पश्चिम बंगाल	7,260	494
गोवा	110	1
कुल	**1,00,000**	**11,723**

स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 3237, लोकसभा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, 21 मार्च, 2023; राष्ट्रीय कृषि इन्फ्रा फाइनेंसिंग सुविधा डैशबोर्ड; पीआरएस।

तालिका 15: विभिन्न राज्यों में धान और गेहूं की उत्पादकता (किलो प्रति हेक्टेयर में)

राज्य	धान	गेहूं
आंध्र प्रदेश	3,730	उपलब्ध नहीं
अरुणाचल प्रदेश	1,854	1,977
असम	2,426	1,322
बिहार	2,453	2,958
छत्तीसगढ़	2,602	1,427
गुजरात	2,530	3,248
हरियाणा	3,362	4,704
हिमाचल प्रदेश	1,942	1,853
जम्मू एवं कश्मीर	2,202	2,062
झारखंड	1,747	2,146
कर्नाटक	3,223	1,373
केरल	3,108	उपलब्ध नहीं
मध्य प्रदेश	2,057	3,179
महाराष्ट्र	2,269	1,948
मणिपुर	1,874	2,481
मेघालय	2,591	1,790
मिजोरम	1,151	उपलब्ध नहीं
नगालैंड	1,751	1,838
ओड़िशा	2,030	1,548
पंजाब	4,193	4,748
राजस्थान	2,464	3,807
सिक्किम	1,241	1,155
तमिलनाडु	3,500	उपलब्ध नहीं
तेलंगाना	3,406	2,073
त्रिपुरा	3,263	2,048
उत्तराखंड	2,548	2,916
उत्तर प्रदेश	2,737	3,531
पश्चिम बंगाल	3,057	3,088
अखिल भारतीय	**2,838**	**3,521**

स्रोत: कृषि सांख्यिकी एक नज़र में 2023 और 2016, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; पीआरएस।

तालिका 16: 2019-20 में राज्यों में वास्तविक बनाम मानक उर्वरक उपयोग संतुलन

राज्य	एन		पी		के	
	मानक	वास्तविक	मानक	वास्तविक	मानक	वास्तविक
आंध्र प्रदेश	2.4	4.6	1.4	2.3	1	1
बिहार	2.8	0	1.5	2.6	1	1
छत्तीसगढ़	2.4	7.3	1.4	3.6	1	1
गोवा	1.6	2	1.1	1	1	1
गुजरात	2.7	11.4	1	3.4	1	1
हरियाणा	4	28.2	1.7	8	1	1
हिमाचल प्रदेश	2.5	3.8	1.3	1	1	1
जम्मू और कश्मीर	3.3	4.6	2	1.5	1	1
झारखंड	2	26.4	1.2	9	1	1
कर्नाटक	1.6	3.6	1	2	1	1
केरल	0.7	1.3	0.5	0.5	1	1
मध्य प्रदेश	2.4	14.4	2.6	1.9	1	1
महाराष्ट्र	2.7	3.2	1.8	7.7	1	1
ओड़िशा	1.8	4.6	1	2	1	1
पंजाब	4	34.9	1.6	8.4	1	1
राजस्थान	10.3	58	5.7	22.8	1	1
तमिलनाडु	2.3	3.4	0.9	1.4	1	1
उत्तर प्रदेश	3	18.2	1.3	6	1	1
उत्तराखंड	1.6	13.8	1.1	3.4	1	1
पश्चिम बंगाल	3.2	2.3	1.5	1.3	1	1

स्रोत: नीति आयोग 2022; पीआरएस।

तालिका 17: एपीएमसी रेगुलेटेड बाजारों की राज्य-वार संख्या और बाजार द्वारा सेवा प्रदान किया जाने वाला औसत क्षेत्र (31 मार्च, 2023 तक)

राज्य	रेगुलेटेड बाजारों की कुल संख्या	प्रत्येक रेगुलेटेड बाजार द्वारा सेवा प्रदान करने वाला औसत क्षेत्र (वर्ग किमी में)
आंध्र प्रदेश	318	512
अरुणाचल प्रदेश	19	4,408
असम	226	347
चंडीगढ़	1	114
छत्तीसगढ़	187	723
गोवा	8	463
गुजरात	405	484
हरियाणा	285	155
हिमाचल प्रदेश	63	884
झारखंड	201	397
कर्नाटक	564	340
मध्य प्रदेश	557	554
महाराष्ट्र	929	331
मेघालय	2	11,215
नगालैंड	19	873
नई दिल्ली	15	99
ओड़िशा	535	291
पुदुचेरी	8	70
पंजाब	436	116
राजस्थान	484	707
तमिलनाडु	288	452
तेलंगाना	282	397
त्रिपुरा	21	499
उत्तर प्रदेश	633	384
उत्तराखंड	62	863
पश्चिम बंगाल	537	165
कुल	**7,085**	**406**

स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 588, लोकसभा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, 6 फरवरी, 2024; पीआरएस।

[1] Demand No. 1, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, 2025-26, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe1.pdf
[2] Demand No. 2, Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Union Budget 2025-26, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe2.pdf.
[3] Budget Speech, Union Budget 2025-26, https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_Speech.pdf.
[4] Periodic Labour Force Survey 2023-24, Ministry of Statistics and Programme Implementation, https://dge.gov.in/dge/sites/default/files/2024-10/Annual_Report_Periodic_Labour_Force_Survey_23_24.pdf.
[5] Statement No. 13, Annual and Quarterly estimates of GDP at constant prices (2011-12), Ministry of Statistics and Programme Implementation, as accessed on January 10, 2025, https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press_releases_statements/Statement_13_01122024.xls.
[6] First Advance Estimates of Gross Domestic Product, 2024-25, Ministry of Statistics and Programme Implementation, January 7, 2025, https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/PR_NAD_07012025_0.pdf.
[7] Back-series of National Accounts (Base 2011-12), Ministry of Statistics and Programme Implementation, https://www.mospi.gov.in/publication/back-series-national-accounts-base-2011-12.
[8] Statistical Appendix, Economic Survey (2023-24), Ministry of Finance, https://www.indiabudget.gov.in/budget2024-25/economicsurvey/doc/Statistical-Appendix-in-English.pdf.
[9] Agriculture Statistics at a Glance 2023, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, https://desagri.gov.in/wp-content/uploads/2024/09/Agricultural-Statistics-at-a-Glance-2023.pdf.
[10] Economic Survey of India, 2023-24, Union Budget 2024-25, https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/eschapter/echap09.pdf

[11] Economic Survey of India, 2015-16, Union Budget 2016-17, https://www.indiabudget.gov.in/budget2016-2017/es2015-16/echapvol1-04.pdf.
[12] Price Policy for Kharif Crops Report for the marketing season 2024-25, Commission for Agricultural Costs and Prices, March 2024, https://cacp.da.gov.in/ViewQuestionare.aspx?Input=2&DocId=1&PageId=39&KeyId=835.
[13] Price Policy for Kharif Crops, the marketing season 2024-25, Commission for Agricultural Costs and Prices, https://cacp.da.gov.in/ViewQuestionare.aspx?Input=2&DocId=1&PageId=39&KeyId=835.
[14] Volume 14, Comprehensive Policy Recommendations, Report of the Committee on Doubling Farmers' Income, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, September 2018, https://agriwelfare.gov.in/Documents/DFI_Volume_14.pdf.
[15] Volume 8, Production Enhancement through Productivity Gains, Report of the Committee on Doubling Farmers' Income, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, February 2018, https://agriwelfare.gov.in/Documents/DFI%20Vol-8A.pdf.
[16] Economic Survey of India, 2023-24, Union Budget 2024-25, https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/eschapter/echap09.pdf.
[17] Situation Assessment of Agricultural Households and Land and Holdings of Households in Rural India, January – December 2019, Ministry of Statistics and Programme Implementation, September 2021, https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/Report_587m_0.pdf.
[18] Key Indicators of Situation of Agricultural Households in India, January-December 2013, Ministry of Statistics and Programme Implementation, December 2014, https://mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/KI_70_33_19dec14.pdf.
[19] India Employment Report 2024, International Labour Organisation, http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/India%20Employment%20Report%202024.pdf.
[20] Workforce changes and Employment, Niti Aayog, March 2022, https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2022-04/Discussion_Paper_on_Workforce_05042022.pdf.
[21] Land Holdings and Agricultural Census, Ministry of Statistics and Programme Implementation, as accessed on January 11, 2025, https://mospi.gov.in/49-land-holdings-and-agricultural-census#:~:text=An%20operational%20holding%20is%20defined,form%2C%20size%20or%20location%E2%80%9D.
[22] Volume 1, March of Agriculture since Independence and Growth Trends, Report of the Committee on Doubling Farmers' Income, August 2017, https://agriwelfare.gov.in/Documents/DFI%20Volume%201.pdf.
[23] The Economic Lives of Smallholder Farmers, Food and Agriculture Organisation, 2015, https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/32709b4d-ed41-4b1e-9d37-91786824cb9e/content.
[24] Agriculture Statistics at a Glance 2023, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, https://desagri.gov.in/wp-content/uploads/2024/09/Agricultural-Statistics-at-a-Glance-2023.pdf.
[25] Volume 4, Post-production interventions: Agricultural Marketing, Report of the Committee on Doubling Farmers Income, https://agriwelfare.gov.in/Documents/DFI%20Volume%204.pdf.
[26] Volume 13, Structural Reforms and Governance Framework, Report of the Committee on Doubling Farmers Income, January 2018, https://agriwelfare.gov.in/Documents/DFI%20Volume%2013.pdf.
[27] "Constitution of Farmer Producer Organisations", Press Information Bureau, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, July 25, 2023, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1942484.
[28] Formation and Promotion of 10,000 Farmer Producer Organisations – Operational Guidelines, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, July 7, 2020, https://dmi.gov.in/Documents/FPO_Scheme_Guidelines_FINAL_English.pdf.
[29] "8,875 FPOs have been registered across the country", Press Information Bureau, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, August 2, 2024, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2040845.
[30] Volume 7, Input Management for Resource Use Efficiency, Report of the Committee on Doubling Farmers' Income, March 2018, https://agriwelfare.gov.in/Documents/DFI%20Volume%207.pdf.
[31] All India Coordinated Research Project, Indian Council for Agricultural Research, https://aicrp.icar.gov.in/nsp/enhancement-in-seed-replacement-rate-srr/.
[32] Demand and Supply Projections towards 2033, Niti Aayog, February 2018, https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-02/WG-Report-issued-for-printing.pdf.
[33] Seed System: the key for a sustainable pulse agriculture for smallholder farmers in dryland tropics, International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, https://oar.icrisat.org/8792/1/Seed%20System%20The%20Key%20for%20a%20Sustainable%20Pulse%20Agriculture.pdf.
[34] Land Use Statistics at a Glance: 2022-23, Ministry of Agriculture and Farmers' Area, September 2024, https://desagri.gov.in/wp-content/uploads/2024/09/Final-file-of-LUS-2022-23-for-uploading.pdf.
[35] Per Drop More Crop – Micro Irrigation, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, as accessed on January 20, 2025, https://pdmc.da.gov.in/.
[36] Unstarred Question No. 2428, Lok Sabha, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, August 6, 2024, https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/2979650/1/AU2428_kPCRmr.pdf.
[37] Volume 7, Input Management for Resource Use Efficiency, Report of the Committee on Doubling Farmers' Income, March 2018, https://agriwelfare.gov.in/Documents/DFI%20Volume%207.pdf.
[38] A New Paradigm for Indian Agriculture: from Agroindustry to Agroecology, Niti Aayog, 2022, https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-02/Working_Paper_on_Agriculture_With_Cropmarks_060402022.pdf.
[39] Economic Survey of India, 2018-19, Union Budget 2019-20, https://www.indiabudget.gov.in/budget2019-20/economicsurvey/doc/vol2chapter/echap07_vol2.pdf.
[40] Water Productivity Mapping of Major Indian Crops, National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) and Indian Council for Research on International Economic Relations, 2018, https://www.nabard.org/auth/writereaddata/tender/1806181128Water%20Productivity%20Mapping%20of%20Major%20Indian%20Crops,%20Web%20Version%20(Low%20Resolution%20PDF).pdf.
[41] Unstarred Question No. 3890, Lok Sabha, Ministry of Power, March 18, 2021, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/175/AU3890.pdf?source=pqals.
[42] Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, as accessed on January 16, 2025, https://pmksy.gov.in/AboutPMKSY.aspx.
[43] "Per Drop More Crop", Press Information Bureau, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, December 12, 2023, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1985487.
[44] Unstarred Question No. 88, Lok Sabha, Ministry of Jal Shakti, December 7, 2023, https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/2971789/1/AU808.pdf.
[45] "Status of Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana", Press Information Bureau, Ministry of Jal Shakti, December 4, 2023, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1982446.
[46] Report No. 52, "Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Forty-Third Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Planning for Fertilizers Production and Import Policy on Fertilizers Including GST and Import Duty

thereon' of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Fertilizers)", Standing Committee on Chemicals and Fertilisers, Lok Sabha, February 2024, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Chemicals%20&%20Fertilizers/17_Chemicals_And_Fertilizers_52.pdf?source=loksabhadocs.
[47] About the Department, Department of Chemicals and Fertilisers, Ministry of Chemicals and Fertilisers, as accessed on January 17, 2025, https://www.fert.nic.in/about-us/about-department.
[48] Report No. 5, "Study of System of Fertiliser Subsidy", Standing Committee on Chemicals and Fertilisers, Lok Sabha, March 17, 2020, https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/790746/1/17_Chemicals_And_Fertilizers_5.pdf#search=null%20Departmentally%20Related%20Standing%20Committees%20[2020%20TO%202021]%20Committee%20on%20Chemicals%20and%20Fertilizers.
[49] "Fertiliser prices expected to remain higher for longer", World Bank Blogs, May 11, 2022, as accessed on January 17, 2025, https://blogs.worldbank.org/en/opendata/fertilizer-prices-expected-remain-higher-longer.
[50] "Government has provided special packages on DAP over and above NBS subsidy rates on need basis to ensure smooth availability of DAP at affordable prices to farmers", Press Information Bureau, Ministry of Chemicals and Fertilisers, August 9, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2043545.
[51] "Cabinet approves extension of one-time Special package on Di-Ammonium Phosphate beyond the NPS subsidy for the period from 01.01.2025 till further orders to ensure sustainable availability of DAP at affordable prices to farmer", Press Information Bureau, Cabinet, January 1, 2025, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2089258.
[52] Report No. 43, "Planning for Fertilisers Production and Import Policy on Fertilisers including GST and Import Duty thereon", Standing Committee on Chemicals and Fertilisers, Lok Sabha, August 9, 2023, https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/2504800/1/17_Chemicals_And_Fertilizers_43.pdf#search=null%2017%20Departmentally%20Related%20Standing%20Committees%2043rd%20Report%20of%20Standing%20Committee%20on%20Chemicals%20and%20Fertilizers%20on%20Planning%20for%20Fertilizers%20Production%20and%20Import%20Policy%20on%20Fertilizers%20Including%20GST%20and%20Import%20Duty%20Thereon.
[53] Unstarred Question No. 3213, Lok Sabha, Ministry of Chemicals and Fertilisers, December 13, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU3213_wp10FR.pdf?source=pqals.
[54] A New Paradigm for Indian Agriculture: from Agroindustry to Agroecology, Niti Aayog, 2022, https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-02/Working_Paper_on_Agriculture_With_Cropmarks_060402022.pdf.
[55] Pradhan Mantri Programme for Restoration, Awareness Generation, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth, Department of Fertilisers, as accessed on January 20, 2025, https://www.fert.nic.in/sites/default/files/2023-12/PM-PRANAM.doc#:~:text=The%20term%20PM%2DPRANAM%20stands,will%20ensure%20bounty%20in%20return.
[56] "New Soil Health Card Scheme", Press Information Bureau, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, August 11, 2023, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1947891.
[57] Starred Question No. 39, Lok Sabha, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, December 5, 2023, https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/2972199/1/AS39.pdf.
[58] Scheme Guidelines for financing facility under Agriculture Infrastructure Fund, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, as accessed on January 19, 2025, https://pmkisan.gov.in/Documents/Operational%20Guidelines%20of%20Financing%20Facility%20under%20Agriculture%20Infrastructure%20Fund.pdf.
[59] National Agriculture Infra Financing Facility, Department of Agriculture and Farmers Welfare, as accessed on January 19, 2025, https://agriinfra.dac.gov.in/.
[60] Starred Question No. 101, Lok Sabha, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, July 20, 2024, https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/2977765/1/AS101_Zv2zbg.pdf
[61] Report No. 1, "Demands for Grants 2024-25", Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry, and Food Processing, Lok Sabha, December 12, 2024, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Agriculture,%20Animal%20Husbandry%20and%20Food%20Processing/18_Agriculture_Animal_Husbandry_and_Food_Processing_1.pdf?source=loksabhadocs.
[62] Situation Assessment of Agricultural Households and Land and Holdings of Households in Rural India, 2019, Ministry of Statistics and Programme Implementation, September 2021, https://mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/Report_587m_0.pdf.
[63] Key Indicators of Situation of Agricultural Households in India, January – December 2013, Ministry of Statistics and Programme Implementation, December 2014, https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/KI_70_33_19dec14.pdf.
[64] RBI/2017 – 18/4, Notification, Master Circular – Kisan Credit CARD Scheme, Reserve Bank of India, July 3, 2017, https://www.rbi.org.in/commonman/Upload/English/Notification/PDFs/04MCKCC03072017.pdf.
[65] "Kisan Credit Card Scheme", Press Information Bureau, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, March 22, 2022, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1808328.
[66] Unstarred Question No, 1376, Lok Sabha, Ministry of Finance, December 11, 2023, https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/2971124/1/AU1376.pdf.
[67] "Strengthening Agricultural Finance and Welfare", Press Information Bureau, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2086154&reg=3&lang=1.
[68] "Cabinet approves Interest subvention of 1.5% per annum on short-term agriculture loans up to Rs 3,00,000", Press Information Bureau, Cabinet, August 17, 2022, https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1852523&reg=3&lang=1.
[69] Report of the Internal Working Group to review Agricultural Credit, Reserve Bank of India, September 2019, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs//PublicationReport/Pdfs/WGREPORT101A17FBDC144237BD114BF2D01FF9C9.PDF.
[70] Input Survey 2006-07, Agriculture Census, as accessed in January 20, 2025, https://inputsurvey.da.gov.in/RNL/nationaltable8.aspx.
[71] Revamped Operational Guidelines - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, Ministry of Agriculture, Cooperation, and Farmers Welfare, as accessed on January 20, 2025, https://pmfby.gov.in/pdf/Revamped%20Operational%20Guidelines_17th%20August%202020.pdf.
[72] Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Dashboard, as accessed on January 20, 2025, https://pmfby.gov.in/adminStatistics/graphicalDashboard.
[73] Report No. 29, "Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – An Evaluation", Standing Committee on Agriculture, Lok Sabha, August 8, 2021, https://pmfby.gov.in/compendium/General/2021%20-%20Pradhan%20Mantri%20Fasal%20Bima%20Yojana_Parliamentary%20Committee%20Report%20-%2029th%20Report.pdf.
[74] NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey 2021-22, National Bank for Agriculture and Rural Development, October 9, 2024, https://www.nabard.org/auth/writereaddata/tender/pub_0910240156351156.pdf.
[75] Assessing the State of Affairs in Indian Agriculture with a Focus on Credit and Insurance and Storage and Marketing, National Bank for Agriculture and Rural Development, 2023, https://www.nabard.org/auth/writereaddata/tender/1201243818assessing-the-state-of-affairs-in-indian-agriculture-with-a-focus-on-credit-insurance-and-storage-marketing.pdf.
[76] Annual Report 2022-23, Ministry of Food Processing Industries, https://www.mofpi.gov.in/sites/default/files/mofpi_annual_report_2023_eng_5-6-2023_new.pdf.

[77] Study to determine post-harvest losses of agri-produces in India, NABARD Consultancy Services, Ministry of Food Processing Industries, December 7, 2022, https://www.mofpi.gov.in/sites/default/files/study_report_of_post_harvest_losses.pdf.
[78] Report No. 67, Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry, and Food Processing: 'Scheme for creation/expansion of food processing and preservation capacities – an evaluation', Lok Sabha, February 7, 2024, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Agriculture,%20Animal%20Husbandry%20and%20Food%20Processing/17_Agriculture_Animal_Husbandry_and_Food_Processing_67.pdf?source=loksabhadocs.
[79] Volume 2, Report of the Committee on Doubling Farmers' Income, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, August 2017, https://agriwelfare.gov.in/Documents/DFI%20Volume%202.pdf.
[80] Reference Note – Food Processing Sector: Present Scenarios and New Initiatives, Lok Sabha, July 2022, https://loksabhadocs.nic.in/Refinput/New_Reference_Notes/English/18072022_100034_1021205175.pdf.
[81] Volume 3, Report of the Committee on Doubling Farmers' Income, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, 2017, https://agriwelfare.gov.in/Documents/DFI%20Volume%203.pdf.
[82] Report of the Committee on Encouraging Investments in Supply Chains including Provisions for Cold Storage for More Efficient Distribution of Farm Produce, Development Policy Division, Planning Commission, May 2012, https://nccd.gov.in/PDF/DSCC_Report_final.pdf.
[83] Starred Question No. 40, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Lok Sabha, December 12, 2023, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/1714/AS140.pdf?source=pqals#:~:text=As%20per%20available%20information%2C%20currently,capacity%20of%20394.17%20lakh%20MT.
[84] Report on Cold Chain (rationalising concept and requirements) – 2016, National Centre for Cold Chain Development, https://www.nccd.gov.in/PDF/ReportCold-chain2016.pdf.
[85] Study to determine post-harvest losses of agri produces in India, NABARD Consultancy Services, Ministry of Food Processing Industries, December 7, 2022, https://www.mofpi.gov.in/sites/default/files/phl_study_final_report_07.12.2022_2.pdf.
[86] Unstarred Question No. 1593, Ministry of Food Processing Industries, Lok Sabha, December 7, 2021, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/177/AU1593.pdf?source=pqals.
[87] Unstarred Question No. 588, Lok Sabha, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, February 6, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/1715/AU588.pdf?source=pqals.
[88] Report No. 62, "Agriculture Marketing and Role of Weekly Gramin Haats", Standing Committee on Agriculture (2018-19), Lok Sabha, January 3, 2019, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Agriculture,%20Animal%20Husbandry%20and%20Food%20Processing/16_Agriculture_62.pdf?source=loksabhadocs.
[89] National Paper – Market Linkages for Agricultural Commodities, PLP 2020-21, National Bank for Agriculture and Rural Development, https://www.nabard.org/auth/writereaddata/CareerNotices/2309195333Paper%20on%20Market%20Linkages%20on%20Agriculture%20Commodities.pdf.
[90] Volume 6, Report of the Committee on Doubling Farmers Income, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, August 2017, https://agriwelfare.gov.in/Documents/DFI%20Volume%204.pdf.
[91] "National Agriculture Market (e-NAM)", Press Information Bureau, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, April 14, 2023, https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2023/apr/doc2023414181301.pdf.
[92] Unstarred Question No. 2381, Lok Sabha, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, August 6, 2024, https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/2979598/1/AU2381_SHOt5y.pdf.
[93] Economic Survey of India 2021-22, Union Budget 2022-23, https://www.indiabudget.gov.in/budget2022-23/economicsurvey/doc/eschapter/echap07.pdf.
[94] Demand and Supply Projections towards 2033, Niti Aayog, February 2018, https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-02/WG-Report-issued-for-printing.pdf.
[95] From Green Revolution to Amrit Kaal, Niti Aayog, July 2023, https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-07/Aggricultrue_Amritkal.pdf.
[96] "Empowering Farmers through PM-AASHA", Press Information Bureau, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, December 18, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2085530#:~:text=The%20scheme%20is%20implemented%20for,diversification%20towards%20pulses%20and%20oilseeds.
[97] Annual Report 2022-23, Directorate Pulses Development, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, https://dpd.gov.in/Final%20%20Annual%20Report%20(2022-23)%20with%20Preface%20(As%20on%2020.02.2024).pdf.
[98] Economic Survey of India 2024-25, Union Budget 2025-26, https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf.
[99] The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2020/Farmers%20(Empowerment%20and%20protection)%20bill,%202020.pdf.
[100] The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2020/Farmers'%20Produce%20Trade%20and%20Commerce%20bill,%202020.pdf.
[101] The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2020/Essential%20Commodities%20(Amendment)%20Act,%202020.pdf.
[102] "Agriculture Produce Market Committee", Press Information Bureau, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, August 1, 2017, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1497995.
[103] "Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme", Press Information Bureau, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, August 8, 2023, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1946816.
[104] Unstarred Question No. 2464, Lok Sabha, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, August 6, 2024, https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/2979690/1/AU2464_F3JBV1.pdf.
[105] Report No. 9, "Demand for Grants (2020-21)", Standing Committee on Agriculture, Lok Sabha, March 3, 2020, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Agriculture,%20Animal%20Husbandry%20and%20Food%20Processing/17_Agriculture_9.pdf?source=loksabhadocs.

स्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार की गई है। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी की मूल रिपोर्ट से इसकी पुष्टि की जा सकती है।